शुद्धिपत्र

फा.सं.11/5/2001-आईआर
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

तीसरा तल, जीवनदीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001
4 जून, 2019

सेवा में

गवर्नर
भारतीय रिजर्व बैंक
मुम्बई।

विषय: पेंशन का संशोधन।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 5 मार्च, 2019 के समसंख्यक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के पैराग्राफ 2(ii) (तालिका का प्रथम कालम) में वर्णित दिनांक 1.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए कोष्ठकों के लिए वर्णित तिथि को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

(क) 1.1.86 से 31.10.87 तक
(ख) 1.11.87 से 31.10.92 तक
(ग) 1.11.92 से 31.10.97 तक
(घ) 1.11.97 से 31.10.02 तक सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों के लिए
(उदा. मौजूदा मूल पेंशन = 100 रुपये)

2. दिनांक 5.3.2019 के पत्र की अन्य सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(के.एम. नन्दकुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23748753
ईमेल : ir@nic.in

फा.सं. 11/5/2001-आईआर

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

*****

जीवन दीप भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
मार्च, 2019

सेवा में,

गवर्नर,
भारतीय रिजर्व बैंक,
मुम्बई।

विषय: **पेंशन का संशोधन।**

महोदय,

कृपया पेंशन के संशोधन और विद्यमान अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) का चयन करने वालों को पेंशन का चयन करने का एक अंतिम अवसर देने के संबंध में पेंशन विनियमनों के संशोधन के आरबीआई के प्रस्तावों से संबंधित आरबीआई के दिनांक 21.9.2018 के पत्र संख्या सीओ.एचआरएमडी.6457/21.01.00/2018-19 तथा दिनांक 21.2.2019 के पत्र संख्या सीओ.एचआरएमडी.17303/21.01.00/2018-19 का संदर्भ लें।

2. पेंशन के संशोधन से संबंधित उक्त प्रस्ताव की जांच की गई है तथा इस विभाग को आरबीआई अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत आरबीआई स्टाफ विनियमन के स्वच्छ मसौदा को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ वित्त मंत्री का अनुमोदन, निम्नानुसार, सूचित किया जाता है:

(i) वर्ष 2002, 2007 और 2012 में तीन वेतन संशोधनों के साथ पेंशन जमा डीए में 10% की सांकेतिक वृद्धि अनुमोदित की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप, दिनांक 1.11.2002 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों (दिनांक 1.11.1997 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों तथा जिनकी पेंशन का न्यायालय के आदेशों के अनुसार उन्नयन किया गया है, सहित) की मूल पेंशन में 3.63 के गुणक में तथा दिनांक 1.11.2002 से 31.10.2007 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों के लिए 2.44 के गुणक में और दिनांक 1.11.2007 से 31.10.2012 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों के लिए 1.76 के गुणक में वृद्धि होगी।

(ii) इस प्रकार पेंशनभोगियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए संबंधित वेतन संशोधन से मूल पेंशन का निम्नानुसार सांकेतिक संशोधन हो जाएगा:

सेवानिवृत्त व्यक्तियों की श्रेणी	विद्‌यमान मूल पेंशन के स्थान पर संशोधन के सांकेतिक निर्धारण हेतु गुणन घटक		
	1.11.2002 की स्थिति के अनुसार	1.11.2007 की स्थिति के अनुसार	1.11.2012 की स्थिति के अनुसार
1.11.2002 से पूर्व सेवानिवृत्त व्यक्ति (क) 1.1.86 से 30.10.87 तक* (ख) 1.1.87 से 30.10.92 तक* (ग) 1.1.92 से 30.10.97 तक* (घ) 1.11.97 से 3.10.02 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी (उदाहरणार्थ मूल पेंशन = 100 रुपए)	1.5 (संशोधित पेंशन = 150 रुपए)	2.06 (संशोधित पेंशन = 206 रुपए)	3.63 (संशोधित पेंशन = 363 रुपए)
1.11.02 से 31.10.07 तक सेवानिवृत्त व्यक्ति (उदाहरणार्थ विद्‌यमान मूल वेतन = 100 रुपए)	- (संशोधित पेंशन = 100 रुपए)	1.38 (संशोधित पेंशन = 138 रुपए)	2.44 (संशोधित पेंशन = 244 रुपए)
1.11.07 से 31.10.12 तक सेवानिवृत्त व्यक्ति (उदाहरणार्थ विद्‌यमान मूल वेतन = 100 रुपए)	-	-	1.76 (संशोधित पेंशन = 176 रुपए)

* वे पेंशनभोगी जिनकी पेंशन को न्यायालय के आदेशों के अनुसार अद्‌यतन किया गया है।

(iii) पेंशन का संशोधन, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, सांकेतिक आधार पर होगा तथा वास्तविक लाभ केवल भावी प्रभाव से देय होंगे। तदनुसार, पेंशन में संशोधन के कारण किसी बकाया का भुगतान नहीं होगा।

(iv) दिनांक 1.11.2017 को तथा/उसके उपरांत देय वेतन संशोधन के कारण भविष्य में किसी पेंशन संशोधन के लिए संशोधन की मात्रा के साथ-साथ ऐसे संशोधन को अभिशासित करने वाली शर्तों और निबंधनों दोनों के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा।

3. सीपीएफ का विकल्प चुनने वाले अपने कार्मिकों को सीपीएफ के स्थान पर पेंशन योजना अपनाने का अन्य विकल्प प्रदान करने के लिए आरबीआई के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।

भवदीय,

(संजय कुमार मिश्र)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23748753
ई-मेल: ir@nic.in